बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–:आदेश:–

संचिका संख्या–06/अ0–03–14/2006 /पटना, दिनांक–

श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना की प्रथम नियुक्ति दिनांक–28.01.1989 को श्रम निरीक्षक के पद पर हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय बिहार वित्त सेवा (सीमित) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–7027 दिनांक 23.12.2003 द्वारा श्री जायसवाल की नियुक्ति बिहार वित्त सेवा के अधीन वाणिज्य–कर पदाधिकारी के पद पर की गई।

उक्त अधिसूचना के आलोक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–96 दिनांक–31.12.2003 सहपठित ज्ञापांक–4101 दिनांक–31.12.2003 द्वारा श्री जायसवाल दिनांक–02.01.2004 के अपराह्न से विरमित हुए तथा दिनांक–03.01.2004 के पूर्वाह्न में वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना में वाणिज्य–कर पदाधिकारी के पद पर अपना योगदान किया गया। इस प्रकार श्री जायसवाल की दोनों सेवाओं के बीच कोई टूट नहीं है।

अतः श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी के पद पर की गयी सेवा अवधि दिनांक–28.01.1989 से 02.01.2004 तक को बिहार वित्त सेवा के साथ परिगणित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–

(ज्योति प्रकाश),
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06/अ0–03–14/2006 987 /पटना, दिनांक–27/02/25

प्रतिलिपिः–राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार ,पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राज्य–कर उपायुक्त, –सह–नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।